रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 1983/ज्येष्ठ 17, 1905
No. 250] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 1983/JYAISTHA 17, 1905

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 1983

का० आ० 408(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

उज्जैन के श्री ओम प्रकाश माबू द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 19 दिसंबर, 1981 की अर्जी के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न उठा है कि क्या मध्य प्रदेश राज्य से लोक सभा के आसीन सदस्य श्री सुभाष यादव इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हित हो गए है कि वह मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, भोपाल के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहे है ।

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन उक्त प्रश्न के प्रति निर्देश करते हुए निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ।

निर्वाचन आयोग ने अपनी राय दी है (उपाबंध देखिए) कि उक्त श्री सुभाष यादव मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हुए हैं ।

अतः मैं, जैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चित करता हूं कि उक्त श्री सुभाष यादव, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नही हुए हैं ।

जैल सिंह,
भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली,
तारीख : 28 मई, 1983

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1982 का निर्देश मामला सं० 1

[भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्देश]

विषय :—लोक सभा के एक आसीन सदस्य श्री सुभाष यादव की अभिकथित निरर्हता ।

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त एक निर्देश है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन निर्वाचन आयोग से राय मांगी गई है कि क्या मध्य प्रदेश राज्य से लोक सभा के एक आसीन सदस्य श्री सुभाष यादव संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन इस आधार पर निरर्हित हो गए है कि वह मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, भोपाल के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहे हैं ।

2. यह प्रश्न उज्जैन के श्री ओम प्रकाश साबू ने राष्ट्रपति को संबोधित अपनी तारीख 19 दिसंबर, 1981 की अर्जी द्वारा उठाया है ।

निर्विवाद तथ्य निम्नलिखित है :—

(i) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, भोपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त बैंक" कहा गया है) मध्य प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी है ।

(ii) श्री सुभाष यादव, संसद् सदस्य को रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज मध्य, प्रदेश द्वारा दिसंबर, 1980 में उक्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । इस लिए यह नियुक्ति जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में उनके निर्वाचित हो जाने के पश्चात् की गई थी ।

(iii) मध्य प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 के अधीन रजिस्ट्रार, अपने द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अध्यक्ष को संदेय पारिश्रमिक नियत करने में सक्षम है । पारिश्रमिक की रकम सोसाइटी की निधि में से संदेय होती है ।

(iv) मध्य प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 की धारा 49 की उप-धारा (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया कि उक्त बैंक की तब विद्यमान प्रबंधक समिति की पदावधि अधिसूचना की तारीख अर्थात् 26 नवंबर, 1977 को समाप्त हो गई । रजिस्ट्रार ने नए निर्वाचित होने और नई समिति द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने तक सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर श्री सुभाष यादव को उक्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया और कुछ अन्य निदेशकों की भी नियुक्ति की । अभी तक कोई निर्वाचन नहीं कराया गया है । इसलिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति जिनमें श्री सुभाष यादव, संसद् सदस्य भी अध्यक्ष के रूप में है अपने-अपने पदों पर बने हुए है ।

(v) श्री सुभाष यादव ने उक्त बैंक के अध्यक्ष की हैसियत में विभिन्न अवसरों पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, बैठक फीस और अन्य भत्ते आदि प्राप्त किए है । कुछ मामलों में श्री सुभाष यादव को दैनिक भत्ते के अतिरिक्त बैठक (सिटिंग) फीस भी अनुज्ञात की गई है । यह फायदे रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, मध्य प्रदेश द्वारा अपने तारीख 16-7-75 के पत्र सं० सी० आर०/ए० पी०/3772, द्वारा अनुमोदित यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दिए जाते है । श्री यादव उक्त बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई स्टाफ कार का विभिन्न अवसरों पर उपयोग करते रहे है ।

(vi) यह भी स्थापित तथ्य है कि श्री यादव उक्त बैंक के प्रतिनिधि के रूप में किसी संगोष्ठी मे भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर टोकियो गए थे और उन्होंने यात्रा व्यय के अतिरिक्त 150 रु० प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता लिया है ।

3. दोनों पक्षकारों द्वारा अपने लिखित कथना और प्रत्युत्तरों (रिज्वाइंडरों) में दी गई दलीलों के आधार पर आयोग ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :—

(1) क्या मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, भोपाल के अध्यक्ष का पद संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद है ?

(2) क्या मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष का पद संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के उपबंधों के अंतर्गत आता है ?

पक्षकारों की सुनवाई उनके काउन्सेलों के माध्यम से 28 अगस्त और 18 दिसंबर, 1982 को की गई थी ।

4. विवाद्यक सं० 1 :—इस बात पर विवाद नहीं है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है । इसलिए यह शाश्वत उत्तराधिकार सहित एक रजिस्ट्रीकृत निकाय है और इसकी अपनी सामान्य मुद्रा है । यह अपेक्षित है कि सोसाइटी के संव्यवहार उक्त अधिनियम और बैंक की अनुमोदित उप-विधियों के अनुसार किए जाएं । श्री सुभाष यादव को रजिस्ट्रार द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के अधीन उसे विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के आधार पर नियुक्त किया गया था न कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में । इसलिए, रजिस्ट्रार को राज्य सरकार का अंग नहीं माना जा सकता । दूसरे शब्दों में श्री यादव की नियुक्ति में राज्य

सरकार का कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । [illegible] के अध्यक्ष और निदेशकों की नियुक्ति के विषय में शक्तियां अधिनियम से प्राप्त होती है न कि सरकार से । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि श्री सुभाष यादव मध्य प्रदेश सरकार के अधीन पद धारण कर रहे है ।

5. इस संदर्भ में, इसी प्रकार के एक मामले में जिसमें राजस्थान के विधान सभा के कुछ सदस्यों की निरर्हता का प्रश्न अंतर्वलित था (1982 का निर्देश मामला स० 5), आयोग द्वारा की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के विस्तार से उद्धृत करना उचित होगा जिनमें तर्क आधार अधिकथित किया गया है :—

"इन मामलों* में प्रतिपादित तर्क का आधार यह है कि सहकारी सोसाइटी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होती है । यह कानूनी निकाय नहीं होता क्योंकि इसका सृजन किसी कानून द्वारा नहीं किया जाता है । यह व्यक्तियों के एक समूह के कार्य द्वारा कानून के उपबंधों के अनुसार सृजित निकाय होता है । रजिस्ट्रीकरण से सोसाइटी उसी नाम से निगमित हो जाएगी जिस नाम से वह रजिस्ट्रीकृत है, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे, संपत्ति धारण करने, संविदा करने, वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने और उनमें प्रतिवाद करने और उसके गठन के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी कुछ करने की शक्ति होगी । इसलिए सहकारी सोसाइटी, केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम नहीं होता है ।

इस संबंध में (1981-3-एस० सी० सी० — पृष्ठ 438-439) का निम्नलिखित लेखांश उद्धृत किए जाने की आवश्यकता है :—

इस प्रकार कानून द्वारा सृजित निकाय और ऐसे निकाय में, जो अस्तित्व में आने के पश्चात कानून के उपबंधों के अनुसार शासित होता है सुस्पष्ट अंतर है । सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ के मामले में यह प्रश्न उठा था कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी थी, कानूनी निकाय है या नहीं । यह कहा गया था कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में सरकार द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति निकाय का अध्यक्ष था और उसे सरकार से मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी, अतः यह एक कानूनी निकाय है । इस दलील को नामंजूर करते हुए न्यायालय ने अपना निम्नलिखित मत व्यक्त किया है: [एस० सी० सी० पृष्ठ 486 : एस० सी० सी० (एल० एंड एस) पृष्ठ 100 पैरा 4] ।

"सोसाइटी का, जैसा और प्राकृतिक गैस आयोग [illegible] कानूनी स्वरूप नहीं है । यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के उपबंधों के अनुसार निगमित सोसाइटी है । अतः इस तथ्य से कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्ष हैं या सरकार इसके शासक निकाय के सदस्यों को नाम निर्देशित करती है या यह कि सरकार किसी की सदस्यता समाप्त कर सकती है, इस से अधिक कुछ सर्जित नहीं होता कि सरकार इस बात का विशेष ख्याल रखती है कि किसी व्यवसाय में विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, परिषद् के तत्वावधान में संचालित अनुसंधानों के परिणाम का उपयोग देश में उद्योगों के विकासार्थ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की प्रोन्नति, मार्ग दर्शन और सहयोग, विनिर्दिष्ट अनुसंधानों के संस्थापन और वित्त पोषण और विशेष संस्थाओं या विद्यमान संस्थाओं के विभागों के स्थापन या विकास और सहायता करने के कार्य को दायित्वपूर्वक निभाया जाए ।"

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संबंध में जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है जो कुछ भी कहा गया है वह कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड पर भी, जो बाबे कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट, 1925 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, समान रूप से लागू होता है । यहाँ कानूनी निकाय नहीं है क्योंकि इसका सृजन कानून के द्वारा नहीं हुआ है । यह व्यक्तियों के एक समूह के कार्य द्वारा कानून के उपबंधों के अनुसार सृजित निकाय है ।"

इन मताभिव्यक्तियों को देखते हुए यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि 25 आसीन सदस्य, जो राजस्थान कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न किसी सहकारी सोसाइटी में पदासीन है, राजस्थान सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए हैं"।

6. उपर्युक्त परिस्थितियों में आयोग के मतानुसार श्री सुभाष यादव अनुच्छेद 102(1) (क) के अर्थान्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं किए हुए हैं क्योंकि उक्त बैंक को शासित करने वाली उप विधियों की रूपरेखा के भीतर या मध्य प्रदेश को आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट 1960 के उपबंधों के अधीन अध्यक्ष के रूप में उनके कार्य पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

7. विवाद्यक सं० 2:— विवाद्यक सं० 1 के संबंध में विनिर्दिष्ट निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मेरे द्वारा इस विवाद्यक पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह विवाद्यक तभी उद्भूत होगा जब आयोग द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाए कि श्री सुभाष यादव मध्य प्रदेश सरकार के अधीन पद धारण किए हुए हैं ।

8. किन्तु राज्य सरकार से मंगवाए गए कुछ अभिलेखों की, विशेषतः उस विवरण की जिसमें श्री सुभाष यादव द्वारा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, बैठक फीस और अन्य भत्तों

*1. एस० एस० धनोआ बनाम दिल्ली नगर निगम [1981-3 एस०सी०सी० पृष्ठ-431]

2. सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ [1975-3-एस०सी०आर० 616]

के रूप में ली गई रकमें दर्शित हैं, और बैंक की स्टाफ कार सं० सी० पी० डी० 5349 के उपयोग के लिए रखी गई लागबुक की जांच करने पर यह पाया गया है कि श्री सुभाष यादव ने "आकस्मिकता"/वाहन के लिए अन्य संदाय प्रवर्ग के अधीन यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य संदायों का दावा कुछ ऐसी तारीखों के लिए किया है जब उन्होंने स्टाफ कार सं० सी० पी० डी० 5349 का भी प्रयोग किया है, उदाहरण के लिए 16–4–81 से 21–4–81 और 19-6-81 से 25–6–81 तक यद्यपि इन उदाहरणों से निरहर्ता के संबंध में ऊपर उपदर्शित विधिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता, तथापि यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नियमों द्वारा विनियमित वित्तीय औचित्य का प्रश्न उठेगा। आयोग के पास यह अवधारित करने के लिए तथ्य उपलब्ध नहीं हैं कि जिस अवधि में स्टाफ कार सं० सी० पी० डी० 5349 का का प्रयोग किया गया उसी अवधि के लिए यात्रा भत्ते का दावा किया जाना वास्तव में श्री यादव की गलती है या यह साभिप्राय गलती की गई है। यह कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग का है कि वह उनके द्वारा यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता आदि के रूप में किए गए सभी दावों के संबंध में इस पहलू की जांच करे और बैंक के नियमों या उपविधि के अधीन अनुज्ञेय या आवश्यक कार्रवाई करे।

9. ऊपर उल्लिखित कारणों से, मैं अपनी यह राय देता हूं कि श्री सुभाष यादव, संसद सदस्य मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के कारण संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन, निरर्हित नहीं हुए हैं।

तारीख 20 अप्रैल, 1983

आर० के० त्रिवेदी,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
[एफ० 7(22)/83 वि० II]
रु० वें० सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 1983

S.O. 408(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a question has arisen before the President as a result of the petition dated the 19th December, 1981, presented to the President by Shri Om Prakash Sabu of Ujjain as to whether Shri Subhash Yadav, a sitting member of the House of the People from the State of Madhya Pradesh has become subject to the disqualification under article 102(1)(a) of the Constitution on the ground that he is holding an office of profit under the Government of Madhya Pradesh by virtue of his appointment as Chairman of Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank, Bhopal;

And whereas the President of India has sought the opinion of the Election Commission under article 103(2) of the Constitution, with reference to the said question;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the said Shri Subhash Yadav has not become subject to the disqualification for being a Member of the House of the People under article 102(1)(a) of the Constitution by reason of his appointment as the Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by article 103 of the Constitution, I, Zail Singh, President of India, do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that the said Shri Subhash Yadav has not become subject to the disqualification mentioned in article 102(1)(a) of the Constitution for being a Member of the House of the People.

ZAIL SINGH, President of India

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi, India
28th May, 1983.

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 1 of 1982 (Reference from the President of India under article 103(2) of the Constitution).

In Re : Alleged disqualification of Shri Subash Yadav, a sitting member of Lok Sabha.

OPINION

This is a reference from the President of India seeking the opinion of the Election Commission under article 103(2) of the Constitution as to whether Shri Subash Yadav, a sitting member of the Lok Sabha, from the State of Madhya Pradesh, has become subject to the disqualification under article 102(1)(a) of the Constitution on the ground that he is holding an office of profit under the Government of Madhya Pradesh by virtue of his appointment as Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank, Bhopal.

2. The question has been raised by one Shri Om Prakash Sabu of Ujjain by his petition dated 19th December, 1981 addressed to the President of India.

The undisputed facts are as follows :—

(i) The Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Ltd., Bhopal, (hereinafter referred as 'the said bank') is a Cooperative Society registered under the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960.

(ii) Shri Subash Yadav, M.P. has been appointed as Chairman of the said Bank in December 1980 by the Registrar of Cooperative Societies, Madhya Pradesh. This appointment was

therefore made after he had been elected to the Lok Sabha at the general election held in January, 1980.

(iii) Under the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act 1960, the Registrar is competent to fix remuneration payable to such Chairman appointed by him. The amount of remuneration is payable out of the funds of the Society.

(iv) In exercise of the powers conferred by subsection (7A) of section 49 of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act 1960, the Government of Madhya Pradesh notified that the term of office of the then existing Managing Committee of the said Bank expired from the date of the notification i.e., 26th November, 1977. The Registrar appointed Shri Subash Yadav as Chairman and certain other Directors of the said Bank by virtue of the powers conferred on him by sub-section (7B) of section 49 of the Act to manage the affairs of the Society till the new elections were held and the new Committee took charge. Uptil now, no elections have been held. Therefore, the persons appointed by the Registrar including Shri Subash Yadav, M.P. as Chairman are continuing in heir respective offices.

(v) Shri Subash Yadav in his capacity as Chairman of the said Bank has been receiving T.A., D.A., sitting fee and other allowances etc. on different occasions. In some cases, apart from D.A., Shri Yadav has been allowed sitting fees. These benefits are given under the T.A., rules approved by the Registrar of Cooperative Societies, Madhya Pradesh by his letter No. Cr.|AP|3772 dt. 16-7-75. Shri Yadav has been using the staff car provided by the said Bank on various occasions.

(vi) It is also an established fact that Shri Yadav had gone on foreign trip to Tokyo to attend some seminar as a representative of the said Bank and has drawn D.A. at the rate of Rs. 150 per day besides travelling expenses.

3. On the basis of the contentions made by both the parties in their written statements, and rejoinders, the Commission framed the following issues :—

(1) Whether the office of Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal, is an office of profit under the Government of Madhya Pradesh within the meaning of article 102(1)(a) of the Constitution ?

(2) Whether the office of the Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank is covered by the provisions of section 3(i) of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 ?

The parties were heared through their counsel on 28th August and 18th December, 1982.

4. Issue No. 1.—It is not disputed that the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank has been registered under the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960. It is therefore a registered body with perpetual succession and a common seal of its own. The transactions of the society are required to be carried out in accordance with the said Act and the approved bye-laws of the Bank. Shri Subash Yadav has been appointed by the Registrar by virtue of his powers specifically conferred on him under the Cooperative Societies Act and not as the representative of the Government. The Registrar cannot therefore, be considered as an organ of the State Government. In other words, in the appointment of Shri Yadav, the State Government has no direct role to play. The Registrar derives powers in the matter of appointment of Chairman and Directors from the Act and not from the Government. Therefore, it cannot be said that Shri Subash Yadav is holding an office under the Government of Madhya Pradesh.

5. In this context, it would be worthwhile to quote in extenso the following observations made by the Commission which lay down the rationale in a similar case involving the question of disqualification of certain members of Rajasthan Legislative Assembly (Reference Case No. 5 of 1982) :—

> 'The rationale enunciated in these cases are that a cooperative society is a society registered under the Societies Registration Act. It is not a statutory body because it is not created by a statute It is a body created by an act of a group of individuals in accordance with the provision of a statute. The Registration of a society shall render it a body incorporated by the name under which it is registered, with perpetual succession and a common seal with power to hold property, to enter into contracts, to institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purposes of its constitution The cooperative society is, therefore, not a corporation established by or under an Act of the Central of State Legislature.

The following passage in (1981-3-SCC-Page 438-439) needs to be reproduced in this regard :—

> 'There is thus a well marked distinction between a body created by a statute and a body which, after coming into existence, is governed in accordance with the provisions of a statute. In Sabhajit Tewary Vs. Union of India, the question arose whether the Council of Scientific and Industrial Research which was a society registered under the Societies Registration Act, was a statutory body. It was urged that because the Council of Scientific and Industrial Research had government nominees as the President of the body and derived guidance and financial aid from the Government, it was a statutory body. Repelling the contention, the court observed : (SCC pp. 486 : SCC (L&S) P. 100 Para 4).
>
> "The Society does not have a statutory character like the Oil and Natural Gas Commission, or the Life Insurance Corporation or Industrial Finance Corporation. It is a society incorporated in accordance with the provisions of the societies Registration Act. The fact

1. S.S. Dhanoa Vs. Municipal Corporation, Delhi (1981-3-S.C.C p. 431).
2. Sabhajit Tewary Vs. Union of India (1975-3-S.C.R. 616).

that the Prime Minister is the President or that the Government appoints nominees to the governing body or that the government may terminate the membership will not establish any thing more than the fact that the government takes special care that the promotion, guidance and cooperation of Scientific and industrial research, the institution and financing of specific researches, establishment or development and assistance to special institutions or departments of the existing institutions, for scientific study of problems affecting particular industry in a trade, the utilisation of the result of the researches conducted under the auspices of the Council towards the development of industries in the country are carried out in a responsible manner.'

Whatever has been said with regard to the Council of Scietific and Industrial Research, which was a society registered under the Societies Registration Act, equally applies to the Cooperative Store Limited, which is a society registered under the Bombay Cooperative Societies Act, 1925. It is not a statutory body because it is not created by a statute. It is a body created by an act of a group of individuals in accordance with the provisions of a statute'.

In view of these observations it cannot be held that the 25 sitting members holding a position in one or the other cooperative societies registered under Rajasthan Cooperative Societies Act are holding any office under the Government of Rajasthan".

6. In the above circumstances, in the Commission's view Shri Subash Yadav is not holding an office under the Government of Madhya Pradesh, within the meaning of aritcle 102(1)(a) for the reason that the Government as such cannot exercise any control over his functioning as Chairman within the framework of the bye-laws governing the said Bank or the provisions of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960.

7. Issue No. 2.—In view of the specific findings in respect of issue No. 1 it is not necessary for me to examine this issue which would arise only if it is held by the Commission that Shri Subash Yadav is holding an office under the Government of Madhya Pradesh.

8. However, on the examination of some records summoned from the State Government, especially the statement showing amounts drawn by Shri Subash Yadav by way of travelling allowance, daily allowance, sitting fees, other allowances and the log book maintained for the use of Banks staff car No. CPD 5349, it is noticed that Shri Subash Yadav had claimed T.A., D.A. and payments under the category "other payments if any contigencies|conveyance" for certain dates on which he had also used the staff car No. CPD 5349, for instance, 16-4-81 to 21-4-81 and 19-6-81 to 25-6-81. Though these instances do not alter the legal position indicated above regarding the disqualification, the question of financial propriety as regulated by T.A. and D.A. rules would arise. The Commission has no facts available to determine whether the claim of T.A. for the same period for which the staff car No. CPD 5349 had been used is a genuine mistake on the part of Shri Yadav or intentional. It is for the State audit to look into this aspect with respect to all the claims preferred by him by way of T.A.|D.A. etc. and take such action as is permissible or necessary under the rules or bye-laws of the Bank.

9. For the reasons stated above, I hereby tender my opinion that Shri Subash Yadav, M.P. has not become subject to the disqualification under article 102(1)(a) of the Constitution by reason of his appointment as the Chairman of the Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal.

Detad the 20th April, 1983.

R. K. TRIVEDI, Chief Election Commissioner of India

[F. No. 7(22)/83-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983